न्यायालय, कनीय न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

हकियत वाद–61 / 2020

शांति देवी वगैरह.....वादीगण

बनाम

देव नन्दन साह वगैरह.....प्रतिवादीगण

आदेश

11.12.23 उभय पक्ष की हाजरी है। अभिलेख आज वादी की ओर से प्रदर्श करने हेतु दाखिल आवेदन दिनांक–17.07.2023 तथा प्रतिवादी की ओर से दाखिल प्रतिउत्तर दिनांक–31.07.2023 पर सुनवाई पश्चात् आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है।

अपने आवेदन में वादी ने निवेदन किया है कि वादी की ओर से दाखिल दस्तावेजों में से निम्नांकित दस्तावेज लोक दस्तावेज की श्रेणी में आते हैं एवं जिन्हें प्रदर्श अंकित जाना जाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त आवेदन को स्वीकृत करते हुए लोक दस्तावेज को प्रदर्श अंकित करने की कृपा की जाए।

अपने प्रतिउत्तर में प्रतिवादी ने निवेदन किया है कि वादी द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक–17.07.2023 विधि विरुद्ध है एवं पोषणीय नहीं है। वादी बड़े ही धूर्त वो चालाक है जिन्होंने लोक दस्तावेज कहते हुए 11 दस्तावेजों को प्रदर्श अंकित कर साक्ष्य में लिए जाने की बात कही है, बल्कि अधिकतर दस्तावेज लोक दस्तावेज की श्रेणी में नहीं आते हैं। वादी द्वारा पारा–4 में पुलिस प्रतिवेदन दिनांक–03.12.2020 की सच्ची प्रतिलिपि लोक दस्तावेज की श्रेणी में नहीं आता है। उसी प्रकार पारा–5 एवं 8 में जो भी पुलिस प्रतिवेदन दिनांक–27.08.2020 एवं 26.08.2020 है को किसी भी स्थिति में लोक दस्तावेज की श्रेणी में नहीं आते हैं तथा साक्ष्य की श्रेणी में नहीं लिया जा सकता है जब तक इसका मूल तलब नहीं किया जा सकता है उसे प्रदर्श अंकित नहीं किया जा सकता है। पारा–11 में रिविनल सर्वे का ड्राफ्ट खतियान भी लोक दस्तावेज की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि ड्राफ्ट खतियान सर्वे कार्यवाई के प्रारम्भिक स्टेज में होता है तथा जो फाईनल नहीं है एवं जो साक्ष्य में नहीं लिया जा सकता है। इस बिन्दु पर माननीय उच्च न्यायालय, पटना ने पी.एल. जे.आर. 2002 भॉलूम 4 पेज 228 में यह स्पष्ट व्यवस्था है कि ड्राफ्ट खतियान साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है, क्योंकि यह आरम्भिक अवस्था में तैयार किया जाता है। पारा–9 में उल्लिखित नोटिस दिनांक–25.09.2020 एम.आर. केस सं0–297 / 2020 लोक दस्तावेज की श्रेणी में नहीं आता है जब तक असल तलब नहीं किया जाता है, साक्ष्य में नहीं लिया जा सकता है। अतः निवेदन है कि वादी की ओर से दाखिल प्रदर्श संबंधी कागजात लोक दस्तावेज की श्रेणी में नहीं आता है इसलिए खारिज करने की कृपा की जाए।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वादी की ओर से प्रदर्श संबंधी कागजात दाखिल किया गया है जो लोक दस्तावेज की श्रेणी में आता है साथ ही कुछ दस्तावेज आपराधिक मुकदमें से संबंधित है जिसे प्रस्तुत वाद में अवलोकनार्थ आपत्ति के साथ प्रदर्श अंकित किया जाता है। वादी की ओर से दाखिल तीन डाम रसीद दिनांक–26.06.2020 को क्रमशः प्रदर्श–2, 2 / ए, 2 / बी, दो डाक रसीद दिनांक–27.06.2020 को प्रदर्श–2 / सी एवं 2 / डी अंकित किया जाता है। वाद सं0–24 / 2021 गणेश साह बनाम देव नन्दन साह में पारित आदेश दिनांक–28.01.2021 को प्रदर्श–3, एम0आर0 नम्बर–297 / 2020 में पारित आदेश दिनांक–25.09.2020 की

सच्ची प्रतिलिपि को प्रदर्श–4, एम0आर0 नम्बर–297/2020 का आदेश दिनांक–25.09.2020 का नोटिस को प्रदर्श–4/ए, धारा–107 सी0आर0पी0सी0 का आदेश दिनांक–25.09.2020 की सच्ची प्रतिलिपि को प्रदर्श–5, मूल रिविजनल सर्वे खतियान, खाता 597 बनाम राज नारायण साह को प्रदर्श–6 अंकित किया जाता है। तथा पुलिस प्रतिवेदन दिनांक–03.12.2020 की सच्ची प्रतिलिपि को आपत्ति के साथ प्रदर्श–एक्स, पुलिस प्रतिवेदन दिनांक–27.08.2020 की सच्ची प्रतिलिपि को प्रदर्श–एक्स/1, पुलिस प्रतिवेदन दिनांक–26.08.2020 की सच्ची प्रतिलिपि को प्रदर्श–एक्स/2 तथा मूल रिविजनल सर्वे ड्राफ्ट खतियान बनाम राज नारायण साह को प्रदर्श–एक्स/3 अंकित किया जाता है। कार्यालय उक्त दस्तावेज पर क्रमानुसार प्रदर्श संख्या अंकित करते हुए हस्ताक्षर अंकित करावें।

वाद दिनांक–15.01.2024 वास्ते दिनांक–11.12.2023 के आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल करने हेतु।

मुंसिफ,
शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर।